न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 163/2021

उनवान

सितारा उर्फ शहनाज बानो पुत्री नजीर पत्नी मोहम्मद इंलियास नि0 जाजिया—11, खजूर मौहल्ला, मसूदा, अजमेर।

—— अपीलांट :— जरियें अधिवक्ता श्री शांति प्रकाश शर्मा

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
2. रहमत बानो,
3. सुगरा बानो,
4. सलमा बानो पुत्री नजीर नि0 न्यारा, नसीराबाद

—— रेस्पोडेन्टस :— 2 से 4 अनुपस्थित, 1 जरियें राज0 पेरोकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू रा. अधि. 1956 विरूद्व निर्णय विद्वान नामान्तरण संख्या 124 दिनांक 21.09.2009 सरंपच ग्राम पंचायत न्यारा, नसीराबाद

—: आदेश :— दिनांक :— 23.9.24

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम न्यारा के खाता संख्या 71/62 किता 17 रकबा 4.32, 73/64 किता 2 रकबा 0.68, खसरा नम्बर 1434 रकबा 0.45 की आराजी में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पिता नजीर खातेदार थे। नामान्तरण संख्या 124 दिनांक 21.09.09 द्वारा जरियें विरासत उक्त आराजी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज की गयी। उक्त नामान्तरण में अपीलांट का नाम सितारा बेगम अंकित नही कर घरेलु नाम शहनाज बानो अंकित कर दिया, जिसकी अपीलांट के कोई जानकारी नही थी। अपीलांट का सही व वास्तविक नाम सितारा बानो ही है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व वारिसान बाबत कोई जॉच नही की गयी। अतः उक्त नामान्तरण को निरस्त कर अपीलांट के नाम में संशोधन करते हुये नामान्तरण तस्दीक करने का आदेश पारित करावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट का कथन है कि उक्त नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा गलत तरीके से निर्णित किया गया है। किन्तु उक्त नामान्तरण नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतः वाद चलने योग्य नही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट व राज. पैरोकार के तर्कों पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि उक्त नामान्तरण अपीलांट का नाम सितारा बेगम अंकित नही कर घरेलु नाम शहनाज बानो अंकित कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:39:31 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जिसकी अपीलांट के कोई जानकारी नही थी। अपीलांट का सही व वास्तविक नाम सितारा बानो ही है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व वारिसान बाबत कोई जॉच नही की गयी। अतः उक्त नामान्तरण को निरस्त कर अपीलांट के नाम मे संशोधन करते हुये नामान्तरण तस्दीक करने का आदेश पारित करावे। किन्तु उक्त नामान्तकरण के अवलोकन से व राज पैरोकार के जवाब से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण पूर्व में ग्राम पंचायत के समक्ष निर्णय हेतु पेश किया गया था। दिनांक 05.06.09 को प्रस्ताव संख्या 5 के द्वारा सदन के निर्णय मे विचाराधीन रखा गया। दिनांक 20.06.09 के प्रस्ताव संख्या 3 के द्वारा सदन के निर्णय अनुसार सामाजिक रिति रिवाज में गोद लिया था जो कि साबित नही होने से उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नही किया गया है। राज. पैरोकार के जवाब के अनुसार उक्त नामान्तरण नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरण नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत होने के कारण हाजा न्यायालय को उक्त अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील में उक्त नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करने का कथन किया है, जो सिद्ध नही होता है।

अतः प्रकरण में सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुये गुणदोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। अपीलांट उक्त नामान्तरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। मूल प्रानिा पत्र अपीलांट को लोटाया जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:39:31 IST
Reason: SelfAttested